


27-11-19 पत्रावली पेश हुई। पत्रकार वकील उपर है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया तो वकील
वादी को ललची R-3-147 से करवाने हेतु कई
अवसर दिये गये परन्तु लगभग। वर्ज का समय
पूरा होने के उपरान्त भी मामिल हेतु ललकावा
सम्मति पेश नहीं किया गया। अतः वादी को
वार 09 R-5 में खारिज किया गया। पत्रावली
फ्रसल सुनार हेतु रजिस्टार से कर डी।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सांभर लोक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official